2021/112

...यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...न0 36 / 2021 तारीखरजू:– 17.6.21

उनवानः– लक्ष्मीकान्त बनाम कल्याण प्रसाद वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

...नांक	फर्द अहकाम	
...7.6.21	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि जबाब पेश होने तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1169/0.01, 1170/0.85, 1171/0.23, 1174/0.33, 1175/0.22, 1176/0.14, 1177/0.12, 1178/0.42, 1179/0.43, 227/0.34, 228/0.38, 229/0.22, 231/0.24, 232/0.27, 233/0.08, 234/0.14, 234/1458/0.18, 235/0.09, 440/0.20, 441/0.26, 442/0.16, 443/0.32, 447/0.22, कुल किता 23 कुल रकवा 5.85 है0 ग्राम डौरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली मे जवाब पेश होने तक रहन ~~बय~~ इंतकाल नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.07.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2959–62 17/6/21
22.7.21	प्रार्थी वकील उप0/ अप्रार्थी नं. ... सूचना उपस्थित नही है उनके विरुद्ध एक पक्षीय ... अप्रार्थी नं. 1, 2 की ओर से ... शर्मा Adv. ... वकालतनामा पेश कर वादपत्र की ... का एतराज ... नकल दिलाई गई। अगला आदेश बढ़ाया जाता है जवाब पेश करने दिनांक 10.8.21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो

दिनांक	फर्द अहकाम
5.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उपप्रार्थीगण/अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश करने हेतु अन्तिम से अन्तिम मौका दिया गया। बाद जवाब दिनांक 21/5/25 को पेश हो। [signature]
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं बाद आवाज दिलाई गई। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिये प्रार्थी उप प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी उप प्रार्थी वकील की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशल मुनासिब होकर नकल के कम कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested